



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 93 राँची, शुक्रवार,

4 मार्च, 2022 (ई०)

गृहविभाग ।

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2012

संख्या- 5173--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय में लिपिकीय सेवा संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:**

- (i) "संक्षिप्त नाम"- यह नियमावली झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2012 कही जाएगी ।
- (ii) "विस्तार"-इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड, राज्य होगा। यह नियमावली झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, निदेशालय सहित अन्य संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लागू होगा ।
- (iii) "प्रभाव की तिथि"-राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से यह नियमावली प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ :-

- (क) "राज्य"- राज्य से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य ।
- (ख) "सम्बर्ग"- सम्बर्ग से तात्पर्य है, झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, निदेशालय सहित अन्य संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकीय पदों का सम्बर्ग ।
- (ग) "आयोग"- आयोग से अभिप्रेत है, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ।
- (घ) "विभाग"- विभाग से अभिप्रेत है गृह विभाग ।
- (ङ) "विभागाध्यक्ष"- विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 21 के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित पदाधिकारी/प्राधिकार ।
- (च) "निदेशालय"- निदेशालय से अभिप्रेत है, निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला ।
- (छ) "नियुक्ति प्राधिकार"- नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, निदेशक, झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला ।
- (ज) "परीक्ष्यमान"- परीक्ष्यमान से तात्पर्य है, वह सरकारी सेवक जो किसी संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरुद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित हो ।
- (झ) "वरीयता सूची"- वरीयता सूची से अभिप्रेत है, लिपिकीय पदों की वरीयता सूची, जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो ।
- (ञ) "नियंत्रि पदाधिकारी"- नियंत्रि पदाधिकारी से अभिप्रेत है, सम्बद्ध कार्यालयों के घोषित नियंत्रि पदाधिकारी ।
- (ट) "भर्त्ती"- भर्ती वर्ष से अभिप्रेत है, कैलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31 वीं दिसम्बर) ।

3. संवर्गीय संरचना एवं बल:

(क) इस संवर्ग में निम्न कोटि के पद होंगे-

क्र०	कोटि/पदनाम	वेतनमान	सेवा समूह	श्रेणी
(i)	निम्नवर्गीय लिपिक (LDC) (लिपिक/ लिपिक-सह टंकक/टंकक, पत्राचार लिपिक एवं अन्य लिपिकीय पद)(मूल कोटि)	3050-4590 (अ०पु०) 5200-20200 (PB-I) ग्रेड वेतनरूपये-1900	समूह-"ग"	अराजपत्रित
(ii)	उच्च वर्गीय लिपिक (UDC) (लिपिक/ लिपिक-सह टंकक/टंकक, पत्राचार लिपिक एवं अन्य लिपिकीय पद)	4000-6000 (अ०पु०) 5200-20200 (PB-I) ग्रेड वेतनरूपये-2400	समूह-"ग"	अराजपत्रित
(iii)	प्रधान लिपिक (प्रोन्नति के पद)	5000-8000 (अ०पु०) 9300-34800 (PB-II) ग्रेड वेतनरूपये-4200	समूह-"ग"	अराजपत्रित
(iv)	कार्यालय अधीक्षक (प्रोन्नति के पद)	5500-9000 (अ०पु०) 9300-34800 (PB-II) ग्रेड वेतनरूपये-4600	समूह-"ग"	अराजपत्रित

नोट:- कोटि के वेतनमान एवं समूह वही होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जायेंगे।

(ख) "अधिकृत बल"- लिपिकीय पदों के अधिकृत बल वहीं होंगे, जो किसी कार्यालय के लिपिकीय कार्यों के लिए वर्तमान अधिकृत बल है या इस कार्य हेतु समय-समय पर स्वीकृत की जाय ।

- (ग) "विभिन्न कोटि के पदों की अनुमान्यता"- निदेशालय के नियंत्रणाधीन लिपिकीय संवर्ग में आवश्यकता के आधार पर संरचना एवं प्रोन्नति के पदों का निर्धारण करेंगे।

तथापि संवर्ग बल के निर्धारण में सामान्यतः :- एकरूपता के दृष्टिकोण से निम्नमापदण्डों का अनुसरण किया जायेगा:-

- (i) अधिकृत बलका 55 प्रतिशत निम्नवर्गीय लिपिकीय पद के मूल कोटि के पद माने जायेंगे।
- (ii) अधिकृत बलका 30 प्रतिशत उच्चवर्गीय लिपिकीय पद के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।
- (iii) अधिकृत बलका 10 प्रतिशत पद प्रधान लिपिक के पद के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।
- (iv) अधिकृत बलका 5 प्रतिशत पद कार्यालय अधीक्षक के पद के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।

- (घ) "समूह 'घ' के संबंध में" कार्यों के सूचारू रूप से संचालन हेतु समूह "घ" के समकक्ष पदों पर सरकार के निहित शर्तों के अधीन संविदा/बाह्य स्रोत से कर्मियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा रखे जायेंगे। नोट-(अपवाद स्वरूप समूह "घ" के अन्तर्गत आनेवाले प्रयोगशाला वाहक एवं विसरा कटर (कर्तक) के पदों पर नियमित नियुक्ति पूर्व की अहर्त्ताओं के अनुरूप की जायेगी।)

4. (क) निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया:

- (i) "रिक्ति की गणना"- प्रत्येक वर्ष 1 ली जनवरी तक को आधार तिथि मानकर रिक्तियों की गणना की जायेगी। कोटि में 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 15 प्रतिशत पद चतुर्थ वर्ग (समूह "घ", जो उक्त निदेशालय के अधीन कार्यरत हो) से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जायेंगे।
- (ii) लिपिकीय पदों पर झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, निदेशालय के अध्याचित रिक्ति के आलोक में झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की अनुसंशा से प्राप्त चयनित उम्मीदवारों की सूची से मेधा क्रम के अनुसार आदेश का पालन करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जायेगी।
- (iii) "आरक्षण"- राज्य सरकार द्वारा यथा-निर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर होंगे।

(ख) शैक्षणिक योग्यता:

- (i) अनिवार्य योग्यता-सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अनिवार्य होगी।
- (ii) वांछनीय योग्यता- कम्प्यूटर चालन एवं टाईपिंग के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी।

(ग) उम्र सीमा:

न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वहीं होगी, जो सीधी नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित हो।

(घ) चयन प्रक्रिया:

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं गणित में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेंगे तथा सक्षम प्राधिकार की अध्याचना के क्रमानुसार सम्बद्ध कार्यालय को मेधा सूची उपलब्ध करायेगी।

(ङ) पैनल की वैद्यता:

प्रत्येक वर्ष की जाने वाली नियुक्ति के प्रसंग में सीधी/सीमित भर्ती प्रक्रिया के लिए प्राप्त पैनल की वैद्यता आयोग से प्राप्ति की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिए वैद्य रहेंगी।

5. परीवीक्षा की अवधि एवं प्रशिक्षण :

लिपिकीय पदों पर सीधी प्रतियोगिता/सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त होने की तिथि से परीवीक्षाधीन लिपिक पद माना जायेगा, जिन्हे संबंधित की विभिन्न शाखा के अभिलेखों के संधारण एवं टंकण आदि के परिबोध संचालन व्यवस्था नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर से की जायेगी ।

6. सम्पुष्टि:-

परीवीक्षा अवधि एवं कार्यालय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने तथा उनकी सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर उनके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जायेगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी, लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा ।

7. नियुक्ति :

अध्याचित रिक्ति के विरुद्ध आयोग द्वारा आवंटित उम्मीदवारों की नियुक्ति अनुशंसा में रखे गये नामों के क्रमानुसार सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परीवीक्षाधीन निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में की जायेगी ।

8. वरीयता :

वरीयता का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगा:-

- (i) वरीयता नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर संधारित होगी ।
- (ii) पूर्व से कार्यरत निम्नवर्गीय लिपिकों/उच्च वर्गीय लिपिकों/प्रधान लिपिकों तथा कार्यालय अधीक्षकों की वरीयता उनके नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनके जन्म तिथि या जन्म तिथि एक ही रहने पर नामों के प्रारंभिक अक्षर के आधार पर निर्धारित होगी ।
- (iii) अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि के बाद इस नियमावली के नियम-8 के तहत नियुक्त लिपिकीय पदों की वरीयता आयोग की अनुशंसा में अंकित नामों के क्रमानुसार रहेगी ।
- (iv) नियुक्ति के एक समव्यवहार में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्त कर्मियों की तुलना में वरीय होंगे ।

9. प्रोन्नति:

- (i) संवर्गीय संरचना में निम्नतर से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता (Seniority-cum-Fitness) पर आधारित होगी ।
- (ii) प्रोन्नति हेतु पदों का कोटिवार (Grade wise) कर्णाकण सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।
- (iii) प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता एतद् विषय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार होगी ।
- (v) कालावधि- विभिन्न संवर्गीय पद के लिए विहित वेतनमानों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि मानी जायेगी ।
- (vi) प्रोन्नति हेतु आरक्षण प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।

10. पदस्थापन/स्थानान्तरण:

नियंत्री पदाधिकारी पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे।

11. अवकाश/चरित्र पुस्तिका/सेवा पुस्तिका आदि के संबंध में समय-समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे।

12. अनुशासनिक कार्रवाई:

अनुशासनिक कार्रवाई राज्य में प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के तहत नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

13. प्रकीर्ण:

(i) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है। उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की होगी।

(ii) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

स्पष्टीकरण- राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

14. निरसन और व्यावृत्ति:

(i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर बिहार सरकार द्वारा बनाई गई बोर्ड नियमावली या निर्गत कोई नियम/विनियम अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसे कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जे०बी० तुबिद,
सरकार के प्रधान सचिव।
